

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बड्जलास - चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 13/2025

अपीलान्त

बनाम

रेस्पोजेन्ट्स

राम रतन पुत्र मुलाराम जाति घांची निवासी
मेडता तहसील मेडता जिला नागौर।

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मेडता।
2 पटवारी हल्का मेडता।

उपस्थिति :-

1. श्री राम किशोर सोनी अधिवक्ता अपीलान्त की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट्स की ओर से।

दिनांक: 20.08.2025

निर्णय

{1}-मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्त ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मेडता द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 27/2024 सरकार बनाम रामरतन में निर्णय दिनांक 08.01.25 के तहत मौजा मेडता की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 24.02.25 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्त की अपील दिनांक 03.03.25 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोजेन्ट्स की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांत द्वारा अपनी अपील के समर्थन में मौजा मेडता के खसरा संख्या 632, 633, 634, 636 व 644 के संवत् 2065 से 84 के मिलान क्षेत्रफल की फोटोप्रति, अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 27/24 सरकार बनाम रामरतन की सम्पूर्ण पत्रावली की फोटोप्रति पेश की।

{2}-उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिन्दु पर बताया गया कि अपीलांत निरक्षर तथा भोला किस्म का व्यक्ति है प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी की अनुपस्थिति में ही निर्णय पारित कर दिया था जिसकी प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं हो सकी थी तथा उक्त निर्णय की जानकारी प्रथम बार अपीलांत को दिनांक 19.02.25 को हुई थी तथा उसी दिन अपीलांत ने प्रकरण की नकले प्राप्त हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया था लेकिन प्रमाणित प्रतियां नहीं मिल पाई तथा दिनांक 20.02.25 को सांय के समय प्रार्थी को नकले प्राप्त हुई। तत्पश्चात अपीलांत ने यह अपील अविलम्ब अन्दर मयाद जानकारी की तिथि से पेश की गई, जो अन्दर मियाद पेश है, जिससे अपील को अन्दर मयाद शुमार किये जाने बाबत् आवेदन पेश किया। न्याय हित मे देरी माफ कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाना न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नहीं किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांत की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांत ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि-

{2}(I)- अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील पूर्णतया अवैध व विधि विरुद्ध ढंग से पारित किया गया है जो काबिल निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)- अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत के विरुद्ध धारा 91 एल आर एक्ट में दिये गये प्रावधानों के विपरीत जाकर उक्त निर्णय पारित किया है जो काबिल निरस्त है।

{2}(III)- अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत व उसके अधिवक्ता की जानकारी एवं बहस सुने बिना ही दिनांक 08.01.25 को आदेश पारित कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत व उसके अधिवक्ता की जानकारी के बिना ही उक्त आदेश पारित कर दिया है जो स्वतः ही निरस्त किये जाने योग्य है अपीलांत अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश नहीं कर सका तथा अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी प्रकार के गौर के उक्त निर्णय पारित किया है जो जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(IV)- अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत के विरुद्ध धारा 91 एलआर एक्ट में दिये गये प्रावधानों के विपरीत जाकर उक्त निर्णय पारित किया है जो काबिल निरस्त है।

{2}(V)-जिस गैर मुमकिन रास्ता पर पटवारी हल्का मेडता ने अपीलांत को अतिक्रमी बताया है उसकी वास्तविकता यह है कि मौजा मेडता की सरहद में स्थित पुराने खसरा संख्या 392 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा व खसरा संख्या 386 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा की जमीन वाके है इस प्रकार दोनो खसरान का कुल रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा बनता है पुराने नक्शे में दोनो खसरा नम्बर चिपते ही आये हुए है मगर खसरा संख्या 392 पुराने नक्शे में दो जगह दर्ज है।

20/8/25

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(VI)—खसरा संख्या 392 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा का हैक्टर पद्धति के अनुसार रकबा 0.91 हैक्टर तथा खसरा संख्या 386 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा का हैक्टर पद्धति अनुसार 0.42 हैक्टर बनता है मगर नये सेटलमेंट में खसरा संख्या 392 के नये खसरा संख्या 632 का रकबा 0.61 हैक्टर व खसरा संख्या 644 रकबा 0.10 हैक्टर कुल रकबा 0.71 हैक्टर कायम किया तथा खसरा संख्या 386 के नये खसरा संख्या 633 रकबा 0.17 हैक्टर व खसरा संख्या 636 रकबा 0.20 हैक्टर कुल रकबा 0.37 हैक्टर कायम कर दिये इस प्रकार नये सेटलमेंट में दोनों ही खसरान का रकबा कम गलत रूप से तरमीम कर दी गई है जबकि मौके पर खसरा संख्या 392 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा जमीन तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के दिन ही मौके पर यहां तो ढाणियां बसी हुई होने से राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी में खसरा संख्या 392 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा को गैर मुमकिन ढाणी दर्ज किया गया है तथा मौके पर ढाणियां बसी हुई है जिसमें गैरसायल व उसके परिवारजन पीढियों से निवास करते चले आ रहे हैं तथा मौके पर मकानात बने हुए हैं तथा इन ढाणियों के पूर्वी तरफ कच्चा रास्ता पीढियों से चल रहा है मगर नये सेटलमेंट में खसरा संख्या 392 का रकबा 0.91 हैक्टर दर्ज करना चाहिये था परन्तु राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से 0.71 हैक्टर दर्ज हुआ तथा खसरा संख्या 633 रकबा 0.17 हैक्टर तो आबादी भूमि का ही भाग है जिस पर ढाणियां बनी हुई हैं तथा रहवासी मकान बने हुए हैं विधुत लाइन बरसों से खींची हुई है तथा रहवासी मकान बने हुए हैं तथा पानी की सरकारी सुविधा आई हुई है इस प्रकार से उक्त स्थान पर बरसों से आबादी बसी हुई है मगर नये सेटलमेंट में लापरवाही व श लिपिकीय भूल से खसरा संख्या 392 का रकबा कम कर दिया गया है तथा गलत तरमीम कर दिये जाने के कारण रास्ते की भूल को आबादी भूमि के स्थान को दर्शा दिया है अपीलांट की उक्त ढाणी आज भी तेलियों की ढाणी के नाम से जानी जाती है जहां पर केवल तेली समाज के लोग ही पीढियों से निवास करते चले आ रहे हैं इसी स्थान पर अन्य कई जातियों की ढाणियां भी आई हुई हैं तथा करीब 100 से अधिक घरों की बसावट है तथा पास ही खातेदारी की आराजियां भी आई हुई हैं अपीलांट इस स्थान पर अपनी पीढियों से रहता चला आ रहा है तथा अपीलांट किसी भी प्रकार से रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है जिस स्थान पर अपीलांट को अतिक्रमण करना बताया जा रहा है वह स्थान तो बरसों से आबादी भूमि के रूप में काम में लिया जा रहा है तथा इसी स्थान के पूर्वी तरफ जो रास्ता है जो आज भी चल रहा है केवल मात्र सेटलमेंट के कर्मचारियों की लापरवाही से ही उक्त गलत तरमीम हो गई है जिस कारण से आबादी भूमि को रास्ते की भूमि के रूप में पढा जा रहा है।

{2}(VII)—उक्त सभी तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने रखे थे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विस्तृत जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई ना ही अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों पर गौर किया गया था केवल मात्र सरकारी तौर पर सबूतों को देखे बिना ही निर्णय पारित कर दिया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(VIII)—सेटलमेंट कर्मचारियों की लापरवाही व भूल को सुधारने के लिये अपीलांट अलग से वाद प्रस्तुत करेगा।

{2}(IX)—अपीलांट ने किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया है केवल मात्र सेटलमेंट कर्मचारियों के की लापरवाही से ही तरमीम गलत जगह अंकित हुई है यदि पुराने नक्शे का अवलोकन करे तो सम्पूर्ण स्थिति साफ हो जायेगी इस प्रकार से अपीलांट किसी भी प्रकार से अतिक्रमी की परिभाषा में नहीं आता है इस प्रकार से सम्पूर्ण परिस्थितियों से प्रकरण प्रथम दृष्टया अपीलांट के पक्ष में है तथा अपीलांट उक्त स्थान पर बरसों से काबिज है तथा मकान बने हुए हैं यदि सेटलमेंट कर्मचारियों की लापरवाही से अपीलांट अतिक्रमी हो जाता है तो अपीलांट को भारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा तथा अपीलांट को अपूर्ण्य क्षति कारित होगी।

{2}(X)—जिस रास्ते पर पटवारी हल्का मेडता ने अपीलांट को अतिक्रमी बताया है वहां अपीलांट ने कहीं भी अतिक्रमण नहीं कर रखा है तथा गैर मुमकिन रास्ता आज भी मौके पर खुला है जो आज भी चालू हालत में है केवल मात्र सेटलमेंट कर्मचारियों की लापरवाही से रेकॉर्ड अशुद्ध हुआ है तथा मौके खुला है जो आज भी चालू हाल में है केवल मात्र सेटलमेंट कर्मचारियों की लापरवाही से रेकॉर्ड अशुद्ध हुआ है तथा मौके पर रास्ता चालू है तथा खसरान संख्या 636 व 644 आज दिन को आम रास्ता है जबकि सेटलमेंट कर्मचारियों ने लापरवाही से आम रास्ते को आबादी बता दी है तथा 632 व 633 को आम रास्ता बताया है जो कि वास्तव में आबादी की जायगा है।

20/8/24
अपर क्लर्क, नागौर

[2](XI)-अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरुद्ध धारा 91 एल आर एक्ट में दिये गये प्रावधानों के विपरीत जाकर उक्त निर्णय पारित किया है जो काबिल निरस्त है।

[2](XII)-अपीलांट को बिना सुनवाई का मौका देकर ही उक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने पारित कर दिया जो नैसर्गिक न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत है जिस कारण भी उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

[2](XIII)-अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को ही आधार मानकर उक्त निर्णय पारित कर दिया है जबकि वादग्रस्त भूमि की स्थिति वर्तमान में क्या है तथा इससे पूर्व क्या रही है इस तथ्य पर किसी भी प्रकार से कोई भी ध्यान नहीं दिया है ना अधीनस्थ न्यायालय ने अपने स्तर पर कोई भी जांच या रिकॉर्ड पर ध्यान नहीं दिया है जिस कारण मौके की वास्तविक स्थिति का ज्ञान अधीनस्थ न्यायालय को नहीं हो पाया है जिस कारण भी उक्त आदेश काबिल निरस्त फरमाये जाने योग्य है।

[2](XIV)-अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की जानकारी के बिना ही अचानक से पत्रावली को फैंसल कर दिया जबकि दिनांक 08.01.25 को पारित आदेश अवैधानिक व प्रक्रिया विहित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

[2](XV)-अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं शिकायत कर्ता को ही जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच रिपोर्ट प्राप्त कर निर्णय किया जो घोर असंवैधानिक है तथा सरासर गलत है जबकि नियमानुसार कभी भी शिकायतकर्ता स्वयं जांच अधिकारी नहीं हो सकता है।

[3]-राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा मेडता में स्थित गै. मु. रास्ता पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

[4]- उभयपक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मेडता द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 27/2024 सरकार बनाम रामरतन में निर्णय दिनांक 08.01.25 के तहत मौजा मेडता की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर अपील पेश की। पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि पटवारी हल्का मेडता की मौका रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके मेडता की गैर मुमकिन रास्ता पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित है। आराजी भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

[5]- उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

[6]- निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2018/24
(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर,
नागौर
अपर कलक्टर, नागौर